क्रम संख्या--51

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०--4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०--41

(लाइसेन्स्डटू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 21 जनवरी, 1984

माघ 1, 1905 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 182/सत्रह-वि-1-1(क)-11-1982

लखनऊ, 2 जनवरी, 1984

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982 पर दिनांक 19 जनवरी, 1984 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1984 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1983

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1984)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1983 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे और विभिन्न उपबन्धों के लिए विभिन्न दिनांक विनिर्दिष्ट किये जा सकते हैं।

अधिनियम संख्या 2 सन् 1974 की धारा 9 का संशोधन

2—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की, जिसे आगे उक्त संहिता कहा गया है, धारा 9 में, उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

"(5-क) सेशन न्यायाधीश की मृत्यु होने या त्याग-पत्र देने, हटाये जाने या स्थानान्तरण की या बीमारी के कारण या अन्यथा अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होने की या ऐसे स्थान से जहां पर उसका न्यायालय है, अनुपस्थित होने की दशा में, वहां मौजूद अपर सेशन न्यायाधीशों और सहायक सेशन न्यायाधीशों में से ज्येष्ठतम न्यायाधीश, और उनकी अनुपस्थिति में, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने सामान्य कर्त्तव्यों को छोड़े बिना, सेशन न्यायाधीश के पद का कार्यभार ग्रहण करेगा और उसका भारसाधक बना रहेगा जब तक कि पद का भार सेशन न्यायाधीश द्वारा पुनः ग्रहण न कर लिया जाय या उस पद पर नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा ग्रहण न कर लिया जाय, और इस संहिता और उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त बनाये गये किन्हीं नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सेशन न्यायाधीश की किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा।"

धारा 12 का संशोधन

3—उक्त संहिता की धारा 12 में, उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

"(4) जहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का पद रिक्त हो या वह बीमारी या अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, वहां मौजूद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों और अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों में से ज्येष्ठतम मजिस्ट्रेट, और उनकी अनुपस्थिति में जिला मजिस्ट्रेट और उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अत्यावश्यक कार्य को निपटायेगा।"

धारा 16 का संशोधन

4—उक्त संहिता की धारा 16 में, उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

"(4) जहां मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट का पद रिक्त हो या वह बीमारी या अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, वहां मौजूद अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेटों और अन्य महानगर मजिस्ट्रेटों में से ज्येष्ठतम महानगर मजिस्ट्रेट, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अत्यावश्यक कार्य को निपटायेगा।"

धारा 20 का संशोधन

5—उक्त संहिता की धारा 20 में, उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

"(6) राज्य सरकार उपधारा (4) के अधीन अपनी शक्तियां जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्यायोजित कर सकेगी।"

धारा 26 का संशोधन

6—उक्त संहिता की धारा 26 में, खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्—

"(ख) किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध का विचारण—

(i) जब उस विधि में इस निमित्त कोई न्यायालय उल्लिखित है, तब उस न्यायालय द्वारा, या ऐसे न्यायालय से पंक्ति में वरिष्ठ किसी न्यायालय द्वारा किया जा सकता है; और

(ii) जब कोई न्यायालय इस प्रकार उल्लिखित नहीं है, तब किसी ऐसे न्यायालय द्वारा जिसके द्वारा उसका विचारणीय होना प्रथम अनुसूची में दर्शित किया गया है, या ऐसे न्यायालय से पंक्ति में वरिष्ठ किसी न्यायालय द्वारा किया जा सकता है।"

धारा 54 का संशोधन

7—उक्त संहिता की धारा 54 में, उसके अन्त में, निम्नलिखित वाक्य बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी गिरफ्तार व्यक्ति को ऐसी परीक्षा की रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि तत्काल निःशुल्क देगा।"

नयी धारा 54-क का बढ़ाया जाना

8—उक्त संहिता की धारा 54 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

अभियुक्त की परीक्षण शिनाख्त

"54-क—जब कोई व्यक्ति इस आरोप पर गिरफ्तार किया जाता है कि उसने कोई अपराध किया है और किसी न्यायालय के द्वारा, जिसे अधिकारिता है, उसकी किसी साक्षी के द्वारा प्रयोगात्मक पहचान आवश्यक समझी जाती है तो यह विधिपूर्ण होगा कि ऐसे न्यायालय के अनुरोध पर कार्यशील कार्यपालक मजिस्ट्रेट उस गिरफ्तार व्यक्ति की प्रयोगात्मक पहचान की कार्यवाही कराये।"

धारा 81 का संशोधन

9--उक्त संहिता की धारा 81 में, उपधारा (1) में, निम्नलिखित तृतीय परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्--

"परन्तु यह भी कि जहां ऐसा व्यक्ति जमानत पर न छोड़ा जाय या जहां वह उपर्युक्त के अनुसार ऐसी प्रतिभूति देने में असफल रहे, वहां अजमानतीय अपराध के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जमानतीय अपराध के मामले में कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट उसकी अभिरक्षा के लिए उस समय तक उस न्यायालय में जिसने वारण्ट जारी किया हो उसे भेजने के लिए आवश्यक हो, ऐसा आदेश पारित कर सकता है जिसे वह ठीक समझे।"

धारा 436 संशोधन

10--उक्त संहिता की धारा 436 में, उपधारा (1) में, प्रथम परन्तुक में, शब्द "उन्मोचित कर सकता है" के स्थान पर शब्द "छोड़ सकता है" रख दिये जायेंगे।

धारा 484 का संशोधन

11--उक्त संहिता की धारा 484 में, उपधारा (2) में, खण्ड (क) में, परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित अग्रतर परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्--

"परन्तु यह और कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित इस संहिता की धारा 326 के उपबन्ध ऐसे प्रत्येक विचारण पर भी लागू होंगे जो किसी सेशन न्यायालय में इस संहिता के प्रारम्भ के समय लम्बित हो और दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1983 के प्रारम्भ के समय भी लम्बित हो।"

प्रथम अनुसूची का संशोधन

12--उक्त संहिता की प्रथम अनुसूची में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 से सम्बन्धित प्रविष्टियों में, स्तम्भ 5 में, वर्तमान शब्द के स्थान पर शब्द "अजमानतीय" रख दिया जायगा।

आज्ञा से,
गंगा बख्श सिंह,
सचिव।

No. 182/XVII-V-1—1(Ka)-11-1982

Dated Lucknow, January 21, 1984

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Dand Prakriya Sanhita (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 1983 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 1 of 1984) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and asented to by the President on January 19, 1984 :

THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 1983

[U. P. ACT NO. 1 OF 1984]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973 in its application to Uttar Pradesh

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-fourth Year of the Republic of India as follows :—

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Code of Criminal Procedure (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1983.

(2) It shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may by notification specify in that behalf and different dates may be specified for different provisions.

Amendment of section 9 of Act no. 2 of 1974.

2. In section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973, hereinafter referred to as the said Code, *after* sub-section (5), the following sub-section shall be *inserted*, namely :

"(5-A) In the event of the death, resignation, removal or transfer of the Sessions Judge, or of his being incapacitated by illness or otherwise for the performance of his duties, or of his absence from the place at which his court is held, the senior-most among the Additional Sessions Judges, and the Assistant Sessions Judges present at the place, and in their absence the Chief Judicial Magistrate shall without relinquishing his ordinary duties, assume charge of the office of the Sessions Judge and continue in charge thereof until the office is resumed by the Sessions Judge or assumed by an officer appointed thereto, and shall subject to the provision of this Code and any rules made by the High Court in this behalf, exercise any of the powers of the Sessions Judge."

Amendment of section 12.

3. In section 12 of the said Code, *after* sub-section (3), the following sub-section shall be *inserted*, namely :

"(4) Where the Office of the Chief Judicial Magistrate is vacant or he is incapacitated by illness, absence or otherwise for the performance of his duties, the senior-most among the Additional Chief Judicial Magistrate and other Judicial Magistrates present at the place, and in their absence the District Magistrate and in his absence the senior-most Executive Magistrate shall dispose of the urgent work of the Chief Judicial Magistrate."

Amendment of section 16.

4. In section 16 of the said Code, *after* sub-section (3), the following sub-section shall be *inserted*, namely :

"(4) Where the Office of the Chief Metropolitan Magistrate is vacant or he is incapacitated by illness, absence or otherwise for the performance of his duties, the senior-most among the Additional Chief Metropolitan Magistrates and other Metropolitan Magistrates present at the place, shall dispose of the urgent work of the Chief Metropolitan Magistrate."

Amendment of section 20.

5. In section 20 of the said Code, *after* sub-section (5), the following sub-section shall be *inserted*, namely :

"(6) the State Government may delegate its powers under sub-section (4) to the District Magistrate."

Amendment of section 26.

6. In section 26 of the said Code, *for* clause (*b*), the following clause shall be *substituted*, namely :

"(*b*) any offence under any other law may be tried :—

(i) when any court is mentioned in this behalf in such law, by such court, or by any court superior in rank to such court, and

(ii) when no court is so mentioned, by any court by which such offence is shown in the First Schedule to be triable, or by any court superior in rank to such court."

Amendment of section 54.

7. In section 54 of the said Code, the following sentence shall be *inserted* at the end, namely :

"The registered medical practitioner shall forthwith furnish to the arrested person a copy of the report of such examination free of cost."

Insertion of new section 54-A.

8. *After* section 54 of the said Code, the following section shall be *inserted*, namely :

"54-A. When a person is arrested on a charge of committing an offence and his test identification by any witness is considered necessary by any court having jurisdiction, it shall be lawful for an Executive Magistrate acting at the instance of such court, to hold test identification of the person arrested."

Test identification of the accused.

Amendment of section 81.

9. In section 81 of the said Code, in sub-section (1), the following third proviso shall be *inserted*, namely :

"Provided also that where such person is not released on bail or where he fails to give such security as aforesaid, the Chief Judicial Magistrate in the case of a non-bailable offence or any Judicial Magistrate in the case of a bailable offence may pass such orders as he thinks fit for his custody till such time as may be necessary for his removal to the court which issued the warrant."

Amendment of section 436.

10. In section 436 of the said Code, in sub-section (1), in the first proviso, *for* the word "discharge" the word "release" shall be *substituted*.

Amendment of section 484.

11. In section 484 of the said Code, in sub-section (2), in clause (*a*), *after* the proviso, the following further proviso shall be *inserted*, namely :

"Provided further that the provisions of section 326 of this Code as amended by the Code of Criminal Procedure (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1976 shall apply also to every trial pending in a Court of Session at the commencement of this Code and also pending at the commencement of the Code of Criminal Procedure (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1983."

Amendment of First Schedule.

12. In the First Schedule to the said Code, in the entries relating to section 363 of the Indian Penal Code, in column 5, *for* the existing words, the words "Non-bailable" shall be *substituted*.

By order,
G. B. SINGH,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए० पी० 360 सा० (विधा०)—(3608)—1984—750 (मेक०) ।